

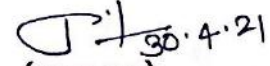
राजस्थान सरकार
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेंसी
(चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं)
आर.टी.डी.सी. मुख्यालय (स्वागतम होटल परिसर) रेल्वे स्टेशन, जयपुर

क्रमांक एफ.(55)/आर.एस.एच.ए.ए./एबी-एमजीआरएसबीवाई/UHC/2021/SP-1 दिनांक: 30.04.21

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदेश में Universal Health Coverage लागू करने की दिनांक 24.02.2021 को विधानसभा सदन में की गई बजट घोषणा 2021-22 की अनुपालना में दिनांक 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की जा रही है। योजनान्तर्गत आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में लाभान्वित खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्र परिवारों एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) 2011 के पात्र परिवारों के साथ-साथ संविदा कार्मिकों, लघु एवं सीमान्त कृषकों, गत वर्ष कोविड अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले परिवारों एवं निर्धारित प्रीमियम राशि का भुगतान कर योजना में पंजीकरण करवाने वाले प्रदेश के अन्य परिवारों को लाभ दिया जाना है।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का सॉफ्टवेयर, योजना के प्रावधान/शर्तों, गाइडलाइन आदि आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के सॉफ्टवेयर, आर.एफ.पी., समय-समय पर जारी गाइडलाइन एवं अनुबंध की शर्तों/प्रावधानों के अनुसार रहेगी। अतः योजना से सम्बद्ध सरकारी एवं निजी अस्पताल तदनुसार पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क उपचार का लाभ देना सुनिश्चित करें।

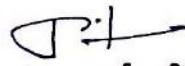

(काना राम)

संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेंसी

क्रमांक एफ.(55)/आर.एस.एच.ए.ए./एबी-एमजीआरएसबीवाई/UHC/2021/SP-1 दिनांक: 30.04.21

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री/राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकि.एवं स्वा. विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकि.एवं स्वा. विभाग, राजस्थान सरकार।
6. निजी सहायक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरएसएचएए, राजस्थान सरकार।
7. जिला कलेक्टर, समस्त जिले।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले।
9. मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, एनआईएसी, जयपुर, राजस्थान उक्तानुसार टीपीए एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को क्लेम प्रोसेसिंग एवं अन्य कार्यवाही हेतु को निर्देशित करावें।
10. समस्त सरकारी एवं निजी सम्बद्ध अस्पताल, समस्त जिले।
11. प्रभारी, सर्वर रूम को संबंधित को ई-मेल कराने हेतु।


संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेंसी